



नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर-15)



क्रमांक : - 530 आयुक्त/सा.प्रा/ननिज/22/57

दिनांक : १५-८-१९

कार्यालय आदेश

नगर निगम ग्रेटर के कार्यों के निस्तारण करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने के लिए उपायुक्त (मुख्यालय) को ड्राईंग एण्ड डिस्बर्समेंट अधिकारी (DDO Power) की शक्तियां प्रदत्त की जाती हैं।

उपायुक्त (मुख्यालय) प्रावधानी निधि/उपार्जित/अर्द्धवेतन/वेतन/एरियर बिलों तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पारित बिलों पर ड्राईंग एण्ड डिस्बर्समेंट अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर कर लेखा शाखा के माध्यम से कैशियर के यहां भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(महेन्द्र सोनी)
आई.ए.एस.

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, महापौर / उपमहापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (मु0), नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
5. समस्त अनुभागाधिकारी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
6. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
7. गार्ड फाईल।


आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर